21.02.2022 पत्रावली पेश। हुई अधिवक्ता अपीलांट उप०।
अपीलांट अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस
करते हुए निवेदन किया कि मूल दावा
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन
है उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल
दावे के निस्तारण पर ही संभव है
दावे के विचारण में रहते है अपीलांट को
बेदखल किया जाता है तो अपीलांट
को अपूरणीय क्षति कारित होगी।
मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा
का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय हाल द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.11.2019 को तावद फैसला कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनकर मूल दावे का तीन माह में निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	